

फर्द अहकाम
बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज का
कार्यवाही

16/11/22

वकील उमर पथ अड्डा/ वकील वाडी/
 परिवारी को न्यायालय
 समक्ष में बँसाने बाद- बाद आवज लागवाई,
 उसके आवक में नगे वाडी/ परिवारी और
 ना ही उसके आच वता उपलब्ध हुए ऐसा प्रतीत
 होता है कि वाडी व उसके पैरोकार अपने प्रकरण
 को लेकर समग नही है। अतः प्रकरण आउम पैरी
 एवं आउम हाजिरी में खातिज किया जाता है।
 पगावली फ़ैसल खुमा हो और नम्बर से काम
 होकर वापिस हाजल हो।

सहायक कलेक्टर
कोटपूतली (गदपुर)